(214)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs. 40/—

R5485-II/16

1—सुनपत पिता पैसुनिया चमार उम्र 35 साल पेशा खेती

2—अच्छेलाल पिता पैसुनिया चमार उम्र 32 साल पेशा खेती

3—भइयालाल तनय पैसुनिया चमार उम्र 29 साल पेशा खेती

4—अमृतलाल पिता पैसुनिया चमार उम्र 26 साल पेशा खेती

5—बृजलाल पिता पैसुनिया चमार उम्र 22 साल पेशा खेती

सभी निवासी कृष्णपुर थाना बदेरा तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ——निगराकार गण

बनाम

1—मदन कुमार तनय श्री प्रेमलाल साकेत उम्र 30 साल पेशा खेती

2—नत्थूलाल तनय श्री प्रेमलाल साकेत उम्र 26 साल पेशा खेती

दोनों निवासी ग्राम कृष्णपुर थाना बदेरा तहसील मैहर जिलासतना म0प्र0

3—आशादेवी पत्नी रामदीन साकेत उम्र 45 साल पेशा खेती

4—कमलेश तनय श्री रामदीन साकेत उम्र 20 साल पेशा खेती

5—जितेन्द्र पिता रामदीन साकेत उम्र 19 साल पेशा खेती

6—रामसनेही पिता श्री भूरा साकेत उम्र 45 साल पेशा खेती

7—रामखेलावन तनय श्री भूरा साकेत उम्र 40 साल पेशा खेती सभी निवासी ग्राम सेमरिया तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 ———— ——— गैर निगराकार गण

**निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार वृत्त बदेरा के रा0प्र0क0 05ए12/15—16 आदेश दिनॉक 10—07—2016 निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0**

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक गण/निगराकार क01 व्दारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक स्वत्व एवं कब्जेदखल की मौजा कृष्णपुर तहसील मैहर की अराजी नं0 423/1/1 रकबा 0.164 हे0 व नं0 423/1/2 रकबा 0.149 हे0 व नं0 424/1/क/2 रकबा 0.074 हे0 कुल 3 किता बावत धारा 129 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत आवेदन पत्र विधिवत प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा

सुनपत अच्छेलाल भइयालाल अमृतलाल बृजलाल

(214)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक R–5485–II/16 जिला–सतना

सुनपत चमार/ मदनकुमार

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 19.12.18 | 1. आवेदक की ओर से श्री के0पी0 पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त बदेरा के प्रकरण क्रमांक 05/ए–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |